

5/8/2022

पंजावली आज वास्ते निर्णय पेश हुई।
 वकील शर्मा उपर। पंजावली ने शर्मा के
 बिरुद्ध एड पक्षिय कपिवाही से जोन से
 बहस एड पक्षिय सुनी जा चुकी है। डोंगले
 बहस वकील शर्मा ने शर्मा पत्र में अंकित
 तथ्यों का दोहरान कर राजस्व ग्राह योज के
 राजस्व रिपोर्ट में शर्मा की सहस्वतेदारी भूमि
 खण्ड 3033 में 35 वर्ष पुराने बने हुए चाट
 का राजस्व रिपोर्ट में अंकन व वरमीय का
 अनुतोष का दोहरान करते हुए शांजली
 कले का कथन किया।

पंजावली व पंजावली पर मौजूद दस्तावेजों
 का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया एवं बहस
 शर्मा पर मनन किया गया जिससे जाहिर
 है कि शर्मा ने शर्मा पत्र अन्तर्गत धारा
 136 LRA व उल्लेख किया है जिसमें वर्तमान
 राजस्व रिपोर्ट में चाट का अंकन व वरमीय का
 अनुतोष चाट है परन्तु शर्मा ऐसा कोई
 भी दस्तावेज एवं साक्ष्य उल्लेख करने में
 असफल रहा है जिससे साबित होता है की
 गत राजस्व रिपोर्ट में उक्त चाट का अंकन व
 वरमीय थी तथा राजस्व कार्मियों की त्ति से
 भवीन राजस्व रिपोर्ट में उक्त चाट का अंकन
 व वरमीय नहीं किया। इस प्रकार शर्मा पत्र को
 सिद्ध करने में शर्मा असफल रहा है। अतः
 शर्मा पत्र शर्मा सार्विक नहीं होने से शर्मा
 किया जाता है। पंजावली केसप शुभा होकर
 नया से काट होकर शर्मा सार्विक है।
 निर्णय सुने न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी
 नीमकाथाना (सीकर)